न्यायालय :: अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सं. 01 जालोर

पीठासीन अधिकारी – राजेन्द्रसिंह चारण, आर.जे.एस.
फौजदारी मूल प्रकरण संख्या– 361/2025
सी.आई.एस. सं. 7980/2016
सीएनआर. सं.– RJJL020012322016

––

अभियोगी–
राजस्थान–राज्य

विरुद्ध

अभियुक्तगण–
1. राजूराम पुत्र हीराराम, निवासी डूंगरवा, पुलिस थाना बागोड़ा, जिला जालोर।
   (मफरूर)
2. मोहनलाल पुत्र खमूराम, निवासी नयावाड़ा, पुलिस थाना भीनमाल, जिला जालोर।
3. हनुमानाराम उर्फ हनुमान पुत्र साजनराम, निवासी मालवाड़ा, पुलिस थाना चितलवाना, जिला जालोर।

:: अपराध अंतर्गत धारा 379, 379/411 भारतीय दण्ड संहिता ::

उपस्थितः–
1– विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी – राज्य की ओर से।
2– श्री राजेन्द्र कच्छावाह – विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण की ओर से।

–:: प्रकरण का संक्षिप्त विवरण ::–

अपराध की तिथि	दिनांक 16.12.2015 से 17.12.2015 के मध्यरात्रि किसी समय
प्रथम सूचना रिपोर्ट की तिथि	22.12.2015
आरोप पत्र प्रस्तुत किए जाने की तिथि	22.06.2016
आरोप विरचित किए जाने की तिथि	03.08.2016, 04.08.2016
साक्ष्य आरंभ किए जाने की तिथि	04.08.2016
निर्णय की तिथि	27.05.2026
दंड दिए जाने की तिथि (यदि कोई हो तो)	––

–:: अभियुक्त का विवरण ::–

अभियुक्त की क्रम संख्या	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की दिनांक	जमानत पर छोड़े जाने की तिथि	अभियुक्त के आरोप का विवरण	दोषसिद्ध या दोषमुक्त	दिए गए दंड का विवरण यदि कोई हो तो	धारा–428 दं.प्र.सं. के परिप्रेक्ष्य में अभियुक्त द्वारा अभिरक्षा में बिताई गई अवधि
01.	राजूराम	29.01.2016	21.03.2016	379 भा.दं.सं.	मफरूर	––	––
02.	मोहनलाल	20.01.2016	27.01.2016	379 भा.दं.सं.	दोषमुक्त	––	
03	हनुमानराम	07.06.	10.06.	379/411	दोषमुक्त	––	

Authenticated Document

	उर्फ हनुमान	2016	2016	भा.दं.सं.			

—:: अभियोजन/बचाव/न्यायालय गवाह सूची ::—

क. अभियोजन/परिवादी पक्ष

अभियोजन गवाह सं.	गवाह का नाम	साक्ष्य की प्रकृति
पीडब्ल्यू 1	इमरान खान	मौका मौतबीर
पीडब्ल्यू 2	जितेन्द्र कुमार	मौतबीर गिरफ्तारी
पीडब्ल्यू 3	रामावतार	मौतबीर मौका तस्दीक
पीडब्ल्यू 4	गलबाराम	मौतबीर गिरफ्तारी
पीडब्ल्यू 5	सलीम	ताईद प्रथम सूचना रिपोर्ट
पीडब्ल्यू 6	मगनलाल	मौतबीर मौका तस्दीक
पीडब्ल्यू 7	आरिफ खां	मौका मौतबीर
पीडब्ल्यू 8	पब्बाराम	मौतबीर गिरफ्तारी व बरामदगी
पीडब्ल्यू 9	दानाराम	अनुसंधान अधिकारी
पीडब्ल्यू 10	देवनारायण	मौतबीर गिरफ्तारी
पीडब्ल्यू 11	मेवाराम	मौतबीर बरामदगी
पीडब्ल्यू 12	करनाराम	मौतबीर बरामदगी
पीडब्ल्यू 13	चम्पाराम	अनुसंधान अधिकारी
पीडब्ल्यू 14	लादूराम	मालखाना इन्चार्ज

ख. बचाव

अभियुक्त गवाह सं.	गवाह का नाम	साक्ष्य की प्रकृति
——	——	——

—:: अभियोजन/बचाव/न्यायालय प्रदर्श सूची ::—

क. अभियोजन/परिवादी पक्ष

प्रदर्श सं.	प्रदर्शित दस्तावेज का विवरण	गवाह जिसके द्वारा दस्तावेज सिद्ध अथवा प्रमाणित किया गया
प्रदर्श पी 1	फर्द नक्शा मौका व हालात मौका	पीडब्ल्यू 1 इमरान खान, पीडब्ल्यू 5 सलीम, पीडब्ल्यू 7 आरिफ खान, पीडब्ल्यू 9 दानाराम
प्रदर्श पी 2	फर्द गिरफ्तारी मुलजिम मोहनलाल	पीडब्ल्यू 2 जितेन्द्र कुमार, पीडब्ल्यू 4 गलबाराम, पीडब्ल्यू 9 दानाराम
प्रदर्श पी 3	फर्द नक्शा नजरी घटनास्थल	पीडब्ल्यू 3 रामावतार, पीडब्ल्यू 6 मगनलाल,

Authenticated Document

		पीडब्ल्यू 9 दानाराम
प्रदर्श पी 4	परिवादी द्वारा न्यायालय में पेश इस्तगासा अंतर्गत धारा 457, 380 आई.पी.सी.	पीडब्ल्यू 5 सलीम, पीडब्ल्यू 13 चम्पाराम
प्रदर्श पी 4	फर्द गिरफ्तारी मुलजिम राजुराम	पीडब्ल्यू 8 पब्बाराम, पीडब्ल्यू 10 देवनारायण, पीडब्ल्यू 13 चम्पाराम
प्रदर्श पी 5	फर्द बरामदगी ट्रेक्टर	पीडब्ल्यू 8 पब्बाराम, पीडब्ल्यू 12 करनाराम, पीडब्ल्यू 13 चम्पाराम
प्रदर्श पी 6	फर्द नक्शा नजरी बरामदगीस्थल	पीडब्ल्यू 8 पब्बाराम, पीडब्ल्यू 12 करनाराम, पीडब्ल्यू 13 चम्पाराम
प्रदर्श पी 7	मुलजिम मोहनलाल द्वारा धारा 27 साक्ष्य अधिनियम के तहत दी गई इत्तला	पीडब्ल्यू 9 दानाराम
प्रदर्श पी 8	मुलजिम मोहनलाल द्वारा धारा 27 साक्ष्य अधिनियम के तहत दी गई इत्तला	पीडब्ल्यू 9 दानाराम
प्रदर्श पी 9	फर्द बरामदगी चोरी किए गए ट्रेक्टर की ट्रोली	पीडब्ल्यू 11 मेवाराम, पीडब्ल्यू 12 करनाराम, पीडब्ल्यू 13 चम्पाराम
प्रदर्श पी 10	फर्द नक्शा नजरी बरामदगीस्थल	पीडब्ल्यू 11 मेवाराम, पीडब्ल्यू 12 करनाराम, पीडब्ल्यू 13 चम्पाराम
प्रदर्श पी 11	पर्चाचाक एफआईआर	पीडब्ल्यू 13 चम्पाराम
प्रदर्श पी 12	मुलजिम राजूराम द्वारा धारा 27 साक्ष्य अधिनियम के तहत दी गई इत्तला	पीडब्ल्यू 13 चम्पाराम
प्रदर्श पी 13	फर्द गिरफ्तारी मुलजिम हनुमानाराम	पीडब्ल्यू 13 चम्पाराम
प्रदर्श पी 14 व प्रदर्श पी 14ए	मूल मालखाना रजिस्टर व उसकी फोटोप्रति	पीडब्ल्यू 14 लादूराम
प्रदर्श पी 15 व प्रदर्श पी 15ए	मूल मालखाना रजिस्टर व उसकी फोटोप्रति	पीडब्ल्यू 14 लादूराम

<u>नोट</u> :– प्रकरण में सहवन से परिवादी द्वारा न्यायालय में पेश इस्तगासा अंतर्गत धारा 457, 380 आई.पी.सी. तथा फर्द गिरफ्तारी मुलजिम राजुराम दोनों प्रदर्श पर प्रदर्श संख्या पी–4 अंकित किया गया है।

Authenticated Document

ख. बचाव

प्रदर्श सं.	प्रदर्शित दस्तावेज का विवरण	गवाह जिसके द्वारा दस्तावेज सिद्ध अथवा प्रमाणित किया गया
——	——	——

:: निर्णय :: दिनांक– 27 मई, 2026

1. थानाधिकारी, पुलिस थाना कोतवाली ने जरिये सहायक अभियोजन अधिकारी के अभियुक्त हनुमानाराम उर्फ हनुमान के विरुद्ध आरोप पत्र अपराध अंतर्गत धारा 379/411 भा.द.स. में तथा अभियुक्तगण राजूराम, मोहनलाल के विरुद्ध आरोप पत्र अपराध अंतर्गत धारा 379 भारतीय दंड संहिता में दिनांक 22.06.2016 को न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जालोर में पेश किया, जिस पर प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया था। तत्पश्चात् हस्तगत प्रकरण श्रीमान् मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जालोर के आदेश क्रमांक 34 दिनांकित 06.10.2025 की पालना में अंतरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है, जो दर्ज रजिस्टर किया गया। हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त राजूराम मफरूर है। अतः हस्तगत प्रकरण का निस्तारण अभियुक्तगण मोहनलाल व हनुमानाराम उर्फ हनुमान की हद तक किया जा रहा है।

2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि परिवादी सलीम खां पुत्र इकबाल खां, जाति मुसलमान, निवासी हाल गोडिजी वाडिया जालोर ने दिनांक 21.12.2015 को न्यायालय श्रीमान् सीजेएम कोर्ट जालोर के समक्ष इस्तगासा अंतर्गत धारा 153(3) सीआर.पी.सी. के तहत इस आशय का पेश किया कि दिनांक 16.12.2015 की रात्रि को वह अपना वाहन ट्रेक्टर मय ट्रोली पर्ल ग्रेनाइट भागली प्याऊ थर्ड फेस के अंदर जालोर में खड़ा कर सोने के लिए चला गया था। जब सुबह देखा तो ट्रेक्टर मय ट्रोली जसके नंबर महिन्द्रा 275 डीआई नं. एचआर 52 बी 2018 कोई अज्ञात चोर चारी कर ले गया, जिसकी उसने वहां पूछताछ की तो उक्त ट्रेक्टर मय ट्रोली का कोई पता नहीं चला। उक्त ट्रेक्टर मय ट्रोली उसके पिता इकबाल पुत्र रहमत खां, जाति मुसलमान, निवासी रूपड़ाका, तहसील हाथीन, जिला पलवल (हरियाणा) के नाम से पंजीकृत था.....इत्यादि। उक्त रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना कोतवाली जालोर में अभियोग संख्या 427/2015 अंतर्गत धारा 379 भा.दं.सं. में पंजीबद्ध किया जाकर बाद अनुसंधान अभियुक्तगण राजूराम व मोहनलाल के विरुद्ध धारा 379 भारतीय दण्ड संहिता व अभियुक्त हनुमानाराम उर्फ हनुमान के विरुद्ध धारा 379/411 भारतीय दण्ड संहिता का अपराध बनना पाये जाने पर आरोप प्रमाणित मानकर आरोप–पत्र न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय द्वारा उक्त अभियुक्तगण के विरुद्ध उक्त धाराओं के अपराध में प्रसंज्ञान लिया गया व प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

3. दिनांक 03.08.2016 को अभियुक्त हनुमानाराम उर्फ हनुमान को अपराध अन्तर्गत धारा 379/411 भारतीय दंड संहिता तथा दिनांक 04.08.2016 को अभियुक्त मोहनलाल को अपराध अन्तर्गत धारा 379 भारतीय दंड संहिता का आरोप पृथक् से विरचित कर सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्तगण ने आरोप अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही। अभियोजन पक्ष की ओर से उपरोक्त वर्णित सूची अनुसार गवाहान को परीक्षित करवाया गया तथा उपरोक्त वर्णित सूची अनुसार दस्तावेजी साक्ष्य

Authenticated Document

प्रदर्शित करवाई गई। अभियुक्तगण के बयान मुलजिम अन्तर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता में लेखबद्ध किए गए तो अभियुक्तगण ने साक्ष्य को गलत होना बताते हुए झूठे फंसाए जाने का कथन करते हुए प्रतिरक्षा साक्ष्य पेश नहीं करना चाहा।

4. उक्त आरोपित अपराध के संबंध में बहस के दौरान अभियोजन अधिकारी का निवेदन है कि पत्रावली पर आई साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे साबित है। अंत में अभियुक्तगण को दोषसिद्ध किये जाने का निवेदन किया। इसके विपरीत अधिवक्ता अभियुक्तगण का निवेदन रहा कि अभियोजन की ओर से परीक्षित गवाहान की साक्ष्य से अभियुक्तगण की आरोपित अपराध में लिप्तता प्रमाणित नहीं हुई है, अभियुक्तगण निर्दोष हैं, उन्हें झूठा फंसाया गया है और झूठा मुकदमा दर्ज करवाया है। अंत में अभियुक्तगण को दोषमुक्त किए जाने का निवेदन किया।

5. उभय पक्षकारान की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायालय के समक्ष निम्नांकित अवधार्य प्रश्न विचारणीय हैः—

> **"क्या अभियुक्त हनुमानाराम उर्फ हनुमान ने दिनांक 17.12.2025 को या उसके बाद किसी समय परिवादी का ट्रेक्टर मय ट्रोली नं. एचआर 52 बी 2018 को चुराई हुई संपत्ति जानते हुए एवं विश्वास रखते हुए उसे बेईमानी से मोहनलाल व राजूराम से प्राप्त कर अपने कब्जे में रखा तथा अभियुक्त मोहनलाल ने दिनांक 16.12.2015 व 17.12.2015 की दरमियानी रात्रि के किसी समय मौजा जालोर में पर्ल ग्रेनाइट थर्ड फेस में खड़ा परिवादी का ट्रेक्टर मय ट्रोली नं. एचआर 52 बी 2018 को परिवादी की अनुमति के बिना बेईमानीपूर्वक आशय से परिवादी के कब्जे से हटाकर ले जाकर चोरी कारित की?" इस प्रकार अभियुक्त हनुमानाराम उर्फ हनुमान ने धारा 379/411 तथा अभियुक्त मोहनलाल ने धारा 379 भारतीय दण्ड संहिता के तहत दण्डनीय अपराध कारित किया है।**
>
> **यदि हॉ, तो अभियुक्तगण की उपयुक्त सजा क्या होगी ?**

6. हस्तगत प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित परिवादी सलीम पीडब्ल्यू 5 ने अपनी साक्ष्य में मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 16.12.2015 की रात वह अपना ट्रेक्टर मय ट्रोली पर्ल ग्रेनाइट भागली प्याऊ थर्ड फेस के अंदर खड़ा किया था। सुबह उसने देखा कि वह वहां से चोरी हो गया। उसका ट्रेक्टर महिन्द्रा 275 डीआई था, जिसके नंबर एसआर 52 बी 2018 थे। इस संबंध में उसने न्यायालय में इस्तगासा पेश किया था, जो प्रदर्श पी—4 है। उसने अपना ट्रेक्टर प्राप्त कर लिया था एवं बाद में पता चला कि उसके ट्रेक्टर की चोरी राजूराम व उसके अलावा अन्य दो—तीन लोगों ने की थी। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह में उक्त गवाह ने कथन किया है कि ट्रेक्टर उसके नाम का नहीं था, उसके पिताजी के नाम का था। रिपोर्ट उसने अन्य व्यक्ति से लिखवाई। यह सही है कि ट्रेक्टर रात्रि में किसने चोरी किया, यह उसने नहीं देखा था। ऐसे में उक्त गवाह की साक्ष्य के विवेचन से यह जाहिर है कि गवाह द्वारा अज्ञात के विरुद्ध परिवाद पेश किया गया था एवं न्यायालय में हुई साक्ष्य में इस सुझाव को सही बताया कि ट्रेक्टर किसने चोरी किया, उसने नहीं देखा था। ऐसे में पत्रावली पर अभियुक्त के विरुद्ध कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है। चोरी से संबंधित प्रकरणों में बरामदगी महत्वपूर्ण होती है। हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त हनुमानाराम व मोहनलाल से कोई बरामदगी नहीं

Authenticated Document

हुई है। अभियोजन पक्ष की ओर से चोरी किए गए ट्रेक्टर की बरामदगी प्रदर्श पी–5 व ट्रोली की बरामदगी प्रदर्श पी–9 प्रदर्शित करवाई है। अनुसंधान अधिकारी पीडब्ल्यू 13 चम्पाराम ने अपनी साक्ष्य में सरहद रणोदर नेशनल हाईवे 15 पर रतोड़ा मुख्य वितरिका के पास बबूल की झाड़ियों में ट्रेक्टर की ट्रोली बरामद होने का कथन किया है। उक्त ट्रेक्टर की ट्रोली लावारिस हालत में जरिये फर्द प्रदर्श पी–9 बरामद की गई है। इसके अतिरिक्त उक्त गवाह द्वारा अपनी साक्ष्य में अभियुक्त राजूराम द्वारा उसके द्वारा दी गई धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की सूचना प्रदर्श पी–12 (जिसमें उसने बताया कि उसने व मोहनलाल ने पर्ल ग्रेनाइट जालोर से महिन्द्रा ट्रेक्टर 275 डीआई चोरी कर हनुमान विश्नोई, निवासी मालवाड़ा को दिया था, जो हनुमान के खेत में राइड़े की फसल में छुपाकर रखा हुआ है) के अनुसरण में अभियुक्त हनुमान के खेत में खड़ी फसल में से अभियुक्त राजूराम से ट्रेक्टर जरिये फर्द प्रदर्श पी–5 बरामद होने का कथन किया है। बरामदगी के मौतबीर गवाह पीडब्ल्यू 12 करनाराम ने भी अपनी साक्ष्य में अभियुक्त राजूराम की इत्तलानुसार उसकी निशादेही से अभियुक्त हनुमान विश्नोई, निवासी मालवाड़ा के खेत में खड़ी फसल में से ट्रेक्टर जरिये फर्द प्रदर्श पी–5 बरामद होने का कथन किया है। बरामदगी के अन्य गवाह पीडब्ल्यू 8 पब्बाराम ने भी अपनी साक्ष्य में अभियुक्त राजूराम द्वारा चम्पाराम को दी गई इत्तला के अनुसार मालवाड़ा गांव में हनुमान विश्नोई के खेत में खड़ी राइड़े की फसल में से ट्रेक्टर जरिये फर्द प्रदर्श पी–5 बरामद होने का कथन किया है। अनुसंधान अधिकारी पीडब्ल्यू 13 चम्पाराम द्वारा अपनी जिरह में कथन किया है कि बरामदगी स्थल के स्वामित्व संबंधी दस्तावेज नहीं लिए थे, न ही पटवारी व ग्रामसेवक से बरामदगी स्थल की तस्दीक करवाई थी। ट्रेक्टर सरसों की फसल के बीच में खड़ा किया था। ट्रेक्टर गड्डा खोदकर व कमरे में छुपाया हुआ नहीं था। उक्त साक्ष्य के विवेचन से जाहिर है कि हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त राजूराम द्वारा दी गई इत्तला के अनुसरण में अभियुक्त हनुमान के खेत से ट्रेक्टर की बरामदगी हुई थी। उक्त खेत अभियुक्त हनुमान का हो, इस संबंध में कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि बरामदगी स्थल वाला खेत खुली जगह है, जहां हर आम व्यक्ति की पहुंच थी। इस कारण उक्त समस्त साक्ष्य के विवेचन से अभियुक्त हनुमान से उक्त ट्रेक्टर की बरामदगी संदेह से परे साबित नहीं होती है। ऐसे में उक्त समस्त साक्ष्य के विवेचन से अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे साबित नहीं होता है।

8. अतः उपरोक्त विवेचना के प्रकाश में अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण को आरोपित अपराध से जोड़ने में व अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्त हनुमानाराम उर्फ हनुमान को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 379/411 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप से तथा अभियुक्त मोहनलाल को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 379 भारतीय दंड संहिता के आरोप से संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

:: आदेश ::

9. परिणामतः अभियुक्त **मोहनलाल पुत्र खमूराम, निवासी नयावाड़ा, पुलिस थाना भीनमाल, जिला जालोर** को आरोप अंतर्गत धारा 379 भारतीय दंड संहिता तथा अभियुक्त **हनुमानाराम उर्फ हनुमान पुत्र साजनराम, निवासी मालवाड़ा, पुलिस थाना**

चितलवाना, जिला जालोर को आरोप अंतर्गत धारा 379/411 भारतीय दंड संहिता के आरोप से संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

अभियुक्तगण की न्यायालय में नियमित उपस्थिति बाबत् पेश जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त राजूराम मफरूर है। अतः पत्रावली का कोई भी भाग नष्ट नहीं किया जावे।

(राजेन्द्रसिंह चारण)
अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
सं.01, जालोर

10. निर्णय व आदेश आज दिनांक 27.05.2026 को विवृत्त न्यायालय में लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित कर उद्घोषित किया गया।

(राजेन्द्रसिंह चारण)
अति.मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
सं. 01, जालोर

Authenticated Document

Signature Not Verified

Digitally signed by
Date: 2026.05.27 12:21:14 IST